IJAER/May-June 2019/Volume-7/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

वर्तमान शिक्षा नीति और दलित विमर्श

दिनेश कुमार मीना

सहा. आचार्य

राजकीय महाविद्यालय गंगापुरसिटी

सार

यह अध्ययन दलित विमर्श में वर्तमान शिक्षा का अध्ययन करना है तथा दलित वर्गो की शिक्षा के लिए क्या संघर्ष किये गए और उनका वर्तमान में कितना प्रभाव देखने को मिलता है तथा भारत सर्कार के द्वारा निम्न वर्गो की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किये गए है आज दलित वर्गो के विषय में विमर्श किया गया है की उनकी शिक्षा का स्तर कहा तक संभव हुआ है आदि बातो के बारे में विमर्श किया गया है ।

मुख्य शब्द *शिक्षा, दलित,* विमर्श.

प्रस्तावना

दलित विमर्श जाति आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है। इसके केंद्र में दलित जाति के अंतर्गत शामिल मनुष्यों के अनुभवों, कष्टों और संघर्षों को स्वर देने की संगठित कोशिश की गई है। यह एक भारतीय विमर्श है क्योंकि जाति भारतीय समाज की बुनियादी संरचनाओं में से एक है। इस विमर्श ने भारत की अधिकांश भाषाओं में दलित साहित्य को जन्म दिया है। भारतीय समाज आदिकाल से ही वर्ण व्यवस्था द्वारा नियंत्रित रहा है । जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म पर आधारित थी कालान्तर में जाति में परिवर्तित हो गई । वर्ण ने जाति का रूप कैसे धारण कर लिया ? यही विचारणीय प्रश्न है । वर्ण व्यवस्था में गुण व कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन का प्रावधान था किन्तु जाति के बंधन ने उसे एक ही वर्ण या वर्ग में रहने पर मजबूर कर दिया । अब जन्म से ही व्यक्ति जाति से पहचाना जाने लगा । उसके व्यवसाय का भी जाति से जोड़ दिया गया । अब जाति व्यक्ति से हमेशा के लिए चिपक गई और उसी जाति के आधार पर उसे सवर्ण या शूद्र , उच्च या निम्न माना जाने लगा । शूद्रों को अस्पृश्य और अछूत माना जाने लगा और इतना ही नहीं उन्हें वेदों के अध्ययन , पठन – पाठन , यज्ञ आदि करने से वंचित कर दिया गया ।

उच्च वर्ग ने अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए सबसे बड़ी चालाकी यह की , कि ज्ञान व शिक्षा के अधिकार को उनसे छीन लिया और उन्हें अज्ञान के अंधकार में झोंक दिया । जिससे वे आज तक जूझ रहे हैं और उभर नहीं पा रहे हैं । भारतीय समाज में दलित वर्ग के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाये जाते रहे है जैसे – शूद्र , अछूत , बहिष्कृत , अंत्यज , पददलित , दास , दस्यु , अस्पृश्य , हरिजन , चांडाल आदि । दलित शब्द का शब्दिक अर्थ है – मसला हुआ , रोंदा या कुचला हुआ , नष्ट किया हुआ , दरिद्र और पीडित , दलित वर्ग का व्यक्ति ।

विभिन्न विचारकों ने दलित शब्द को अपने – अपने ढंग से परिभाषित किया है । डॉ . एनीबीसेन्ट ने दरिद्र और पीडितों के लिए श डिप्रैस्ड श शब्द का प्रयोग किया है । दलित पैंथर्स के घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति , बौद्ध , कामगार , भूमिहीन , मजदूर , गरीब – किसान , खानाबदोश जाति , आदिवासी और नारी समाज को दलित कहा गया है । मानव समाज में हर वह व्यक्ति या वर्ग दलित है जो कि किसी भी तरह के शोषण व अत्याचार का शिकार है । इसके अतिरिक्त माना गया कि– सामाजिक , सांस्कृतिक , राजनैतिक , धार्मिक या आर्थिक या फिर अन्य मानवीय अधिकारो से वंचित, वह वर्ग जिसे न्याय नही मिल सका, दलित है।

दलित विमर्श

दलित विमर्श आज के युग का एक ज्वलंत मुद्दा है । भारतीय साहित्य में इसकी मुखर अभिव्यक्ति हो रही है । दलित साहित्य को लेकर कई लेखक संगठन बन चुके हैं और आज यह एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है । स्वाभाविक रूप से साहित्य , समाज और राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है । दलित शब्द का अर्थ है , जिसका दलन और दमन हुआ है । दलित लेखक कंवल भारती लिखते हैं , दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है । जिसे कठोर और गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया है । जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया है और जिस पर सछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की , वही और वही दलित है , और इसके अंतर्गत वही जातियां आती है , जिन्हें अनुसूचित जातियां कहा जाता है । इसी तरह दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को वाणी दी है।

दलित शब्द को डॉ.शिवराज सिंह 'बेचौन' ने परिभाषित करते हुए कहा है, "दलित वह है जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है।"2 इसी प्रकार दलित विचारक कँवल भारती का मानना है, "दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है। जिसे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर सछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, वही और वही दलित हैं।

राजेंद्र यादव दलित शब्द की विस्तृत परिदृश्य में व्याख्या करते हैं और स्त्रियों को भी इसके दायरे में रखते हैं। उनके विचार में यह व्यापकता इसलिए भी है क्योंकि भारतीय समाज में वह चाहे जिस वर्ण या वर्ग की स्त्रियां रही हों, उनके साथ भी दमन की नीति, शोषण, सामाजिक, शैक्षणिक समेत अनेक सामाजिक संरचनाएं मिलती हैं। इसलिए "वे स्त्रियों को भी दलित मानते हैं। पिछड़ी जातियों को भी दलितों में शामिल करते हैं।"

दलित की शिक्षा के लिए संघर्ष

दलित चिंतको के अनुसार वास्तव में जिसे हम नवजागरण कह सकते है उसकी लहर बंगाल में नही अपितु महाराष्ट्र से चली। वह लहार थी दलित मुक्ति आंदोलन की जिसने न सिर्फ भारत का ही बल्कि पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया था । इस लहर को पैदा करने वाले थे महात्मा ज्योतिबा फूले। अंबेडकर जी के शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विचार थे। उनका मानना था कि मनुष्य के तकलिफों का कारण उनकी अज्ञानता है। उनका मानना था कि दलित वर्ग शिक्षा के द्वारा ही प्रगति कर पाएगा। उन्होने ज्ञान के महत्व को स्वीकार किया है। मनुष्य ज्ञान की शक्ति के अभाव में असहाय एंव शक्ति हिन महाशूस करता है। उसके पास मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वह शिक्षा के अभाव में अंधविश्वासों की दुनिया में स्वप्नजीव हो जाता है। अतः (अंबेडकर जी) ज्ञान को आधार शीला मानते थे। वे शिक्षा को ऐसे आराम का साधन नहीं मानते थे बल्कि जातिगत भावना , सामाजिक असमानता, का विरोध करने में नेतृत्व का जरिया मानते थे।

दलित जातियों के बीच शिक्षा के प्रचार–प्रसार में बेहद कमी देखने को मिलती हैं। अधिकांश दलितों के बच्चे घर की चौखट से निकलकर स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुच पाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के नाकामी के कारण ही आज भी दलित जातियाँ विकास के लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा के महत्व को समझते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एंव 46 में अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। व्यक्ति कि धर्म , जाति, वंश, अथवा लिंग भेद किए बिना संवैधानिक समान अधिकार (प्रावधान) करने वाले अनुच्छेद 15 (1) का अपवाद अनुच्छेद 15 (4) हैं। यह राज्य सरकार को किसी भी सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों कि प्रगति के लिए अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों या दलितों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा प्रणाली भारत में राज्य एंव केन्द्र दोनों के ही विषय क्षेत्र हैं। इसके बाद भी शिक्षा के प्रसार का मूल दायित्व राज्य सरकार को हीसौंपा गया है।

जिस प्रकार का परिवेश मिलेगा उसी प्रकार का परिणाम भी मिलते हैं। जिस परिवेश में जो रहता है वह वैसा ही बनाता है। बच्चे का प्राथमिक पाठशाला उसका घर है , उसका परिवार होता है। बच्चा ज्ञान का पहला अध्याय अपने माता –पिता एंव परिवार से सिखता है। बच्चों के संदर्भ में आज भी दलितों के परिवारों में बहुत ही कम पढे –लिखे लोग हैं। अगर कम पढे दृ लिखे लोग होंगे तो उनके बच्चो पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा , तथा इसके विपरीत जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है

महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म सन 1827 में पुणे (महाराष्ट्र) में हुआ । उनके पिता का नाम गोविन्दराव और माता का नाम चिमणाबाई था । वे जाति से माली थे व सब्जी बेचकर गुजर – बसर करते थे ज्योति राव जब एक वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया । तब उनकी मौसेरी बहन श्रीमती सगुणाबाई ने उनका लालन पालन किया । घर की आर्थिक स्तिथि अछि न होने के कारण उन्हें पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। शिक्षा से उन्हें मनुष्य के कर्तव्यो तथा मानव अधिकारो का ज्ञान हुआ।

इन्होंने शिक्षा के महत्व को जन –जन तक पहुचाने के लिए लगभग 18 पाठशालाएं खोली ये पाठशालाएं मुख्य रूप से शुद्रो और महिलाओ के लिए था। ख्ए महात्मा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इसी वर्ष उनकी क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित हुई थी। इस समय तक रानाडे का प्राथना समाज अस्तित्व में आ चुका था। आज दलित विमर्श और लेखन की कई धाराएँ हैं । पहली धारा – गैर दलित लेखकों की हैं । दूसरी धारा दलितों को सर्वहारा मानने वाले मार्क्सवादी लेखकों की है । इन दोनों धाराओं को मुख्य दलित साहित्यधारा नहीं मानने वाले दलित लेखकों की मुख्यधारा है । इन दोनों धाराओं को अपर्याप्त मानने वाले लेखकों ने दलित जीवन की यातना सही है । महात्मा फूले की आत्मकथा , काव्य और नाटकों में यह विमर्श पहली बार रचनात्मक अनुभव बना । अंबेडकर युग से पहले हीरा डोम सबसे आदरणीय दलित लेखक माने जाते हैं । अपनी मार्मिक कविता अछूत की शिकायत से उन्होंने पहली बार हिंदी लेखन में दलित सोच को शामिल किया । यह रचना ' सरस्वती ' जैसी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपी थी । हीरो डोम ने भोजपुरी में जो ' अछूत की शिकायत ' लिखी थी , उसमें यह दयनीय सच उजागर किया था कि दलित को 24 घण्टे मेहनत करनी पड़ती है , फिर भी महीने में दो रूपये नहीं मिलते । इसी दौर के दलित लेखकों में हरिहर नाम से रचना करने वाले स्वामी अछूतानंद भी महत्त्वपूर्ण दलित रचनाकार हैं । उन्होंने दलितों को आदि हिंदू माना और अपनी कविता तथा नाटकों के द्वारा यह स्थापित किया कि भारत के मूल या आदि निवासी अछूत हैं , शेष सभी बाहर से आए हैं । कई आलोचकों और साहित्यकारों ने उन्हें पहला लेखक माना है । वैचारिक दृष्टि से वे अधिक सतर्क और सजग लेखक हैं । स्त्री – विमर्श की तरह दलित विमर्श भी रचनात्मक लेखन के माध्यम से आगे बढ़ा है ।

आधुनिक भारतीय शिक्षा

आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला अंग्रेजों के शासन काल में रखी गयी थी। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचनाएं की गईं तथा उसे भारत में नयी परिस्थितियों के अनुसार ढालने की आवश्यकता महसूस की गयी थी। बहुत सारे भारतीय शिक्षा विचारकों तथा अनेक विद्वानों के अनुसार अंग्रेजकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थीं तथा इससे भारतीय संस्कृति का विनास ही हुआ है। ऐसी शिक्षा भारतीयों का शारीरिक , मानसिक संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक उत्पादन तथा आर्थिक विकास करने में पूरी तरह से विफल रही थी। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की प्रकृति अत्याधिक शैद्धान्तिक एवं कठोर थी। जिससे भारत में औद्योगिक आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली देश में सभी वर्गों तक आसानी से नहीं मिल सकती थी। दलित , पिछड़े व निर्धन वर्ग के साथ –साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी थी। जिस कारण निरक्षरता में निरन्तर वृद्धि होती रही और बढ़ती ही जा रही थी।

आज़ादी से पहले की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि दलित समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था. इसके बाद अंग्रेज़ों के शासनकाल में स्थितियाँ कुछ बदलीं और एक मुक्त शिक्षा व्यवस्था लागू हुई. इससे कुछ लोगों को लाभ मिला था.आज़ादी के बाद इस बात को स्वीकार किया गया और इस दिशा में नीति बनाने की ज़रूरत भी महसूस की गई.दो तरह की शिक्षा नीति बनाई गईं. एक तो इस बात पर आधारित थी कि इतिहास में जो वर्ग शिक्षा से वंचित रहे हैं उन्हें आरक्षण के माध्यम से मुख्यधारा में आने का अवसर दिया जाए. इसे उनकी जनसंख्या के आधार पर तय किया गया.दूसरी तरह की नीति के तहत ग़रीब और पीछे छूटे हुए लोगों के लिए छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य रूपों में आर्थिक मदद जैसी व्यवस्था की गई. यह भी देखा गया कि कई बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद आर्थिक चुनौतियों के कारण शिक्षा से अलग हो जा रहे हैं और माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं. इसके लिए उन्हें छात्रावासों की और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई. कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी ने दलितों की शिक्षा को महत्व दिया है.

चिंता

इस तरह के प्रयासों की वजह से हम पाते हैं कि शिक्षा का ग्राफ तेज़ी से ऊपर गया है पर जनसंख्या के अनुपात से देखें तो अभी भी दलितों का साक्षरता प्रतिशत औरों की अपेक्षा कम है. ऐसा ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों में भी देखने को मिलता है. वहाँ प्रवेश दर 10 प्रतिशत है पर अनुसूचित जातियों के लिए पाँच प्रतिशत ही देखने को मिल रहा है. इसकी एक वजह नीतियों के लागू होने को लेकर भी है पर यह केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में नीतियों के लागू होने को लेकर कुछ चुनौतियाँ और कुछ खामियाँ हैं.बल्कि शिक्षा को बाकी नीतियों की तुलना में देखें तो यहाँ लागू करने की समस्या कुछ कम हैं.

उद्देशय

1. भारत सरकार द्वारा दलित शिक्षा में प्रयास का अध्ययन करना
2. दलित की शिक्षा के लिए संघर्ष का अध्ययन करना

भारतीय आजादी के बाद शिक्षा नीतियों में सुधार

भारतीय स्वतंत्रता के उपरान्त संविधान में भी शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। शिक्षा में सुधार करने के लिए समय –समय पर बहुत सारी शैक्षिक समितियों का भी गठन किया गया। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं। जैसे कोठारी आयोग 1969, 1968 में देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छच्म्) की घोषणा की गयी। सन् 1979 में जनता सरकार ने शिक्षा की नयी नीति व उसके कार्यान्वयन कार्यक्रम (च्व।) की घोषणा की गयी। 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। सन् 1992 में नरसिन्हा सरकार ने शिक्षा नीति में कतिपथ परिवर्तन किये तथा नयी कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया। इन शिक्षा सुधार नीतियों के आधार पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। इस काल में सभी स्तरों में शिक्षा में नामांकन संख्या में संख्यात्मक वृद्धि अल्पकालीन रही।

आजादी के बाद शिक्षा में आरक्षण की नीति के कारण उच्च शिक्षा में भी देखें तो दलितों के वहाँ पहुँचने में कुछ तो प्रगति हुई है पर फिर भी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कई तरह की सुविधाओं के होने के बावजूद आईआईटी और आईआईएम या उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था.इसकी वजह ग़रीबी, सामाजिक विभेद, आर्थिक चुनौतियाँ और घर का माहौल भी हैं. इसकी वजह से और वर्गों की तुलना में इस वर्ग से एक छोटा सा तबका ही उच्च शिक्षा में जा पाता है.उच्च वर्गों से ज़्यादा तादाद इसलिए है क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसका उन्हें लाभ मिलता आया है

नई शिक्षा नीति

भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। मोदी सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति लाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और इसके लिए टीएसआर सुब्रहमण्यम कमेटी का गठन भी हुआ था, जिन्होंने मई, 2019 में शिक्षा नीति का अपना मसौदा (ड्राफ्ट) केंद्र सरकार के सामने रखा। लेकिन सरकार को वह ड्राफ्ट पसंद नहीं आया। इसके बाद सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद् और जेएनयू के पूर्व चांसलर के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया। के. कस्तूरीरंगन की कमेटी ने एक नए शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, जिसे सार्वजनिक कर केंद्र सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे।

वैसे तो इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन कुछ अहम बदलाव इस तरह हैं। अगर सबसे पहले स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढांचे में ही एक बड़ा परिवर्तन आया है। 10+2 पर आधारित हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के रूप में बदला गया है। इसमें पहले 5 वर्ष अर्ली स्कूलिंग के होंगे। इसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया है, जिसके अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वर्तमान में 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे 10 + 2 वाले स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हैं और 5 या 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश ही प्राथमिक कक्षा यानी की कक्षा एक में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि इन छोटे बच्चों के प्री स्कूलिंग के लिए सरकारों ने आंगनबाड़ी की पहले से व्यवस्था की थी, लेकिन इस ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education &ECCE) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो। इस तरह शिक्षा के अधिकार (त्ज्म्) का दायरा बढ़ गया है। यह पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, जो अब बढ़कर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है और उनके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। सरकार ने इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में 2030 तक नामांकन अनुपात यानी ग्रास इनरोलमेंट रेशियो (जीईआर) को 100 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में इसे 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक 2017–18 में भारत का उच्च शिक्षा में जीईआर 27.4 प्रतिशत था, जिसे अगले 15 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला पांच साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा, इन्हें मिलाकर पांच साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की तीन कक्षाओं कक्षा–3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव अनीता करवाल ने कहा कि इसके लिए बोर्ड परीक्षा को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव है, जिसके तहत साल में दो हिस्सों में बोर्ड की परीक्षा ली जा सकती है। इससे बच्चों पर परीक्षा का बोझ कम होगा और वह रट्टा मारने की बजाय सीखने और आंकलन पर जोर देंगे।

शिक्षा नीति सुधार

शिक्षा नीति को और प्रभावी बनाने के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए. सामान्य शिक्षा की व्यवस्था लागू हो. गुणवत्ता के स्तर पर सभी को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए. कोठारी आयोग ने इस पर काफी बल दिया था. जो केंद्रिय कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय हैं. जो सैनिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल हैं, गांव में जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए नवोदय स्कूल हैं, और सामान्य बच्चों के लिए नगर निगम के स्कूल हैं. प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर सकते, उनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों तक के आधार पर पढ़ाई हो रही है. इससे एक तरह की असमानता हम लोगों ने ही पैदा कर दी है. समाज का एक विशेष आर्थिक पहुँच वाला व्यक्ति ही अपने बच्चों को यह शिक्षा दे पा रहा है और बाकी के लिए सरकारी पाठशालाएं हैं. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने की ज़रूरत भी है और सरकार को इसका अहसास भी है. ऐतिहासिक कारणों से पिछड़े वर्ग जैसे आदिवासी, दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक और फिर ग़रीब व्यक्ति, इन

सभी को शिक्षा में समान अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है. जिन दलित की स्थिति सुधरी है उन्हें भी शिक्षा में समान अधिकार तो मिलने चाहिए पर आर्थिक सहूलियतें उन्हें ही देनी चाहिए जो कि ग़रीब हैं

भारत सरकार द्वारा दलित शिक्षा में सुधार हेतु प्रयास :

- भारत सरकार सक्रिय रूप से दलित मुद्दे के समाधान को बढ़ावा देती है। एक महत्वपूर्ण सामग्री दलित बच्चों, विशेषकर दलित लड़कियों की शिक्षा है और कई अलग–अलग नीतियां पेश की हैं।
- ❖ 1950 – संवैधानिक लेख रू अनुच्छेद 29(2) रू अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों का संरक्षण (धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर)।
- ❖ अनुच्छेद 46 रू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। (भारत का संविधान, 1950)
- ❖ 1986 – शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति रू गुणवत्ता के लिए शिक्षा असमानताओं को दूर करने और शिक्षा की पहुंच से वंचित लोगों तक पहुंच को समान करने पर विशेष जोर देती है। महिलाओं की गुणवत्ता के लिए शिक्षा षशिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में किया जाएगाष
- ❖ अनुसूचित जाति की शिक्षा केंद्रीय गैर–अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जाति के शिक्षा विकास को बराबर करने पर केंद्रित है। साथ ही मैला ढोने वाले, मृत जानवरों की चमड़ी उतारने वाले और कमाना करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए बनाई गई छात्रवृत्ति योजना; नामांकन, प्रतिधारण और पूर्णता दरों की सावधानीपूर्वक निगरानी; अनुसूचित जाति शिक्षकों की भर्ती; अनुसूचित जाति की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
- ❖ 1989 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 (अत्याचार निवारण अधिनियम) :
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक अधिनियम जो ऐसे अपराधों के खिलाफ सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय प्रदान करता है।
- ❖ 1990 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक स्थापना :
- ❖ एनसीएससीएसटी के पास एससी/एसटी के कल्याण और विकास दोनों को रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए व्यापक कार्य हैं।
- ❖ 2002 – संवैधानिक विधेयक (86वां संशोधन) 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य स्कूली शिक्षा को मौलिक अधिकार का नाम दिया गया है।
- ❖ 2003 –प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम :
- ❖ कार्यक्रम का उद्देश्य षप्राथमिक स्तर पर वंचित/वंचित लड़कियों के प्रावधानों को बढ़ानाष है।
- ❖ प्रमुख घटकों में सामुदायिक लामबंदी, मॉडल स्कूलों का विकास, शिक्षकों का लिंग संवेदीकरण और पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- ❖ 2004 – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रूअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों की बालिकाओं के लिए 1180 आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति कार्यक्रम।
- ❖ 2006 – महिला एवं बाल विकास विभाग को केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय का दर्जा दिया गया। उन्होंने तब से एक प्रमुख रिपोर्ट षए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रेनष प्रकाशित की है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बच्चों के मुद्दों का विश्लेषण करती है।

उल्लिखित प्रावधानों/कार्यों के अलावा, राज्य सरकारों ने स्थानीय जरूरतों के आधार पर अपनी योजनाओं को भी लागू किया है।

ग़ैर सरकारी दलित शिक्षा मेंयोगदान :

भारत में कई गैर सरकारी संगठन हैं जो दलित महिलाओं की शिक्षा के मुद्दों के समाधान के बारे में चिंतित हैं और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। दो प्रतिनिधि संगठन निम्नलिखित हैं :

दलित फाउंडेशन दलित फाउंडेशन एक पंजीकृत ट्रस्ट है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। इसका मिशन ष्जाति–आधारित भेदभाव को खत्म करने और सभी के लिए समानता और समान अधिकार सुनिश्चित करने के संघर्ष में भागीदार बननाष् है। इसके चार मुख्य उद्देश्य :

1. दलित महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और जाति आधारित अत्याचारों का उन्मूलन।
2. आजीविका के लिए सहायता प्रदान करें – असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और बीमा सुनिश्चित करना।
3. भूमि, जल निकायों, गांवों, जंगलों और उत्पादन के अन्य साधनों पर अधिकार।
4. अनुकूल जनमत के बारे में सार्वजनिक समझ बनाएं। फाउंडेशन दलित कार्यकर्ताओं को अनुदान प्रदान करता है जो जाति–आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम जो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अधिकांश अनुदान जो महिलाओं के मुद्दों का समर्थन करते हैं, हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन पर भी ध्यान केन्द्रित करते हैं।

दलित फ्रीडम नेटवर्क : दलित फ्रीडम नेटवर्क (DFN) का मिशन दलितों को उनकी सामाजिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की तलाश में मानवीय, वित्तीय और सूचनात्मक संसाधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह चार मुख्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उदेश्य की प्राप्ति करता हैरू शिक्षा, आर्थिक विकास, चिकित्सा संसाधन और सामाजिक न्याय। अपने शिक्षा फोकस के संदर्भ में, डीएफएन अंग्रेजी भाषा के स्कूलों पर अपना जोर देता है। ऐसा करने का उद्देश्य अंग्रेजी बोलने वाले ब्राह्मणों और अनपढ़ दलितों के बीच की खाई को पाटना है। अखिल भारतीय ईसाई परिषद, डीएफएन की एक भागीदार, दलित छात्रों के लिए भारत में 1,000 दलित शिक्षा केंद्र चलाती है। प्रत्येक स्कूल लगभग 250 छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। अब तक सरकार और सामाजिक संस्थाओं के प्रोत्साहन से दलित महिलाओं की शिक्षा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं विद्यमान हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से हल करने में काफी समय लगेगा।

उपसंहार

अत: कहा जा सकता है की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के द्वारा निम्न वर्गो की शिक्षा के लिए प्रयास किये गए है परन्तु सामजिक वतावरण के कारण कई समस्या आज भी आती है फिर भी दलितों की शिक्षा में काफी सुधार हुए है योजनाओ द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है उल्लिखित प्रावधानों/कार्यों के अलावा, राज्य सरकारों ने स्थानीय जरूरतों के आधार पर अपनी योजनाओं को भी लागू किया है। शिक्षा प्रणाली भारत में राज्य एंव केन्द्र दोनों के ही विषय क्षेत्र हैं। इसके बाद भी शिक्षा के प्रसार का मूल दायित्व राज्य सरकार को हीसौंपा गया है। जिस प्रकार का परिवेश मिलेगा उसी प्रकार का परिणाम भी मिलते हैं। जिस परिवेश में जो रहता है वह वैसा ही बनाता है।

संदर्भ

[1]. ए.एन. सिन्हा (2022)सामाजिक एवं आर्थिक शोध संस्थान पटना का रिपोर्ट, गरीबी उन्मूलन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, पेज नं. 24

[2]. संजय कुमार (2019) ‘‘दलित महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एवं आर्थिक विषमता : बिहार के संदर्भ में “वॉल्यूम। 9, अंक 3, मार्च – 2019 पेज नं. 55

[3]. लक्ष्मी नायक (2021)”उच्च शिक्षा तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य” अखिल भारतीय सम्मेलन चेन्नई, पेज नं. 11

[4]. रत्नेश किशोर वर्मा एवं जी.एम. मुस्तफा (2019)”अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास में शिक्षा के विभिन्न चरण ” अर्जुन पब्लिकेशन नई दिल्ली, पेज नं. 88

[5]. कुमुद श्रीवास्तव (2022)”दलित वर्ग के उत्थान में उच्च शिक्षा की भूमिका” ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पेज नं. 30

[6]. राजेश चन्द्र पाण्डेय (2018) अंत्यज वर्ग की शैक्षिक दशा एवं संवैधानिक प्रावधान तथा अन्य संदर्भ / फाल्मर प्रेस, लंदन पेज नं.66

[7]. उदयसिंह राजपूत (2017)”जनजातीय शिक्षारू प्रयास, उपलब्धियाँ एवं चुनौतियां” बहुसांस्कृतिक शिक्षा केंद्र, लंदन विश्वविद्यालय, पेज नं. 12

[8]. वी.के. द्विवेदी (2020) ”जनजातीय विकास एवं उच्च शिक्षारू एक प्रतीकात्मक अध्ययन” नई दिल्ली, पेज नं. 44

[9]. अरुण कुमार (2019) ”आधुनिक शिक्षा एवं दलित” ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पेज नं. 124.

[10]. सुखदेव थोराट (2021) ”शिक्षा व्यवस्था और दलित समाज” बुक्स फॉर चेन्ज, आई०एस०बी०एन० रू 1222334 पेज नं. 114.